न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 33/2023

वाद दायरी दिनांक :– 09.05.2023

असगर पुत्र हुसैन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

1/1. नजमा पत्नी असगर

1/2 अयान पुत्र असगर

1/3. फातीमा पुत्री असगर

1/4. आलीया पुत्री असगर

समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

2 रफीक पुत्र हुसैन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीगण

बनाम

1. हाजरा बानों पत्नी यूसुफ जाति व्यापारी पुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2 मोहम्मद फारूक पुत्र रजाक जाति व्यापारी सुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
3. अकलीमन बानों पत्नी रजाक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला अन्झुनू (राज.)
4. जैनम पुत्री रजाक जाति व्यापारी मुसलमोच निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मेण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
5. जुलेखां पुत्री रजाक जाति व्यापारी मुसलेसान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
6. माफीया पुत्री रजाक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, गण्डाया तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
7. साबिरा पुत्री रजाक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

खैरू पत्नी सलीम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
सोयल पुत्र सलीम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
10. फैसल पुत्र सलीम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
11. रुहीना पुत्री सलीम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
12.साहीना पुत्री सलीम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
13. इकबाल पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
14. कयूम पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
15. आमीन पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
16. शब्बीर पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
17.जाकिर पुत्र हनीफ जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
18.जावेद पुत्र हनीफ जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड/न. 9 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
19. दाउद पुत्र हनीफ जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड न. 9. मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादीगण

वकील वादीगण– श्री महेन्द्र नेमिवाल एडवाकेट

वकील प्रतिवादी न 02 लगा. 19 :– मुर्करम अंसारी एडवाकेट

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दूरूस्ती बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 16.01.2025

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 776 के वर्तमान खसरा नम्बर 1749 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 738 रकबा 4 बीघा विश्वा रहे है।वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 4 के वर्तमान खसरा नम्बर

...रकबा 1.02 हेक्टर भूमि स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 737 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा रहे ...पत्र की धारा 1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तेनी खातेदारी ...श्तकारी की भूमि रही है। वाद पत्र की धारा 1 व 2 में वर्णित भूमि तुला की खातेदारी काश्तकारी ...भूमि रही थी। उक्त तुला के दो पुत्र अब्दुल व छोटू हुवे। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि ... से अब्दुल अकेले के नाम से ही दर्ज हो गई जबकि वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि ...ल व छोटू दोनो के 1/2 1/2 हिस्सा प्राप्त हुई। छोटू का स्वर्गवास हो चुका है जिसके ...रिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 19 है। तथा अब्दुल का भी स्वर्गवास हो चुका ... अब्दुल के दो पुत्र युसुफ व रज्जाक हुवे जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 है। ...टू के पुत्र सुलेमान व हनीफ को बंटवारे में दुसरी भूमि खसरा नम्बर 1745, 1746, 1747 दे दी ...है। इसलिए छोटू के पुत्र सुलेमान व हनीफ व उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 13 भूमि में कोई ...क व हिस्सा नहीं है। 01लगायत 19 का उक्त वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पर छोटू पुत्र ...ला अकेला काबिज काश्त था और उक्त छोटू के स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान वादीगण एवं ...तिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 काबिज काश्त है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में उक्त ...ब्दुल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का कोई हक व हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं ...है।वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में छोटू पुत्र तुला का 1/2 हिस्सा दर्ज है जबकि उक्त भूमि ...में छोटू पुत्र तुला का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि में अब्दुल के वारिसानु प्रतिवादीया ...संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगणसंख्या 2 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर भी इसी प्रकार काबिज काश्त है।वाद पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या लगायत 7 का नाम हजफ फरमाया जाकर छोटू पुत्र तुला के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। इसी प्रकार वाद पत्र के राजस्व रिकार्ड से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 19 के पूर्वज छोटू पुत्र तुला का नाम हजफ फरमया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि --(क) यह कि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 776 के वर्तमान खसरा नम्बर 1749 रकबा 1.00 हैक्टभूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ फरमया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 को उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जावें। इसी प्रकार वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 4 के वर्तमान खसरा नम्बर 1751 रकबा 1.02 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड से छोटू पुत्र तुला का नाम हजफ फरमाया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 को 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया प्रतिवादी न0

...अधिकारी मण्डावा

लगायत 19 ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता की आम सहमती से वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 776 के वर्तमान खसरा नम्बर 1749 रकबा 1.00 हैक्टभूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ फरमया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 को उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जावें। इसी प्रकार वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 4 के वर्तमान खसरा मम्बर 1751 रकबा 1.02 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड से छोटू पुत्र तुला का नाम हजफ फरमाया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 को 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कये जाने का के आदेश दिये जावे।

विधि में भूमि के विभाजन व घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा एवं धारा 53 में भूमि क्षेत्र के विभाजन का प्रावधान किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ख.न. 1749 रकबा 1.00 हैक्टर एवं ख.न. 1751 रकबा 1.02 हैक्टर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार तूला के नाम से रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार मुला के दो पुत्र अब्दुल व छोटु है। उक्त वादग्रस्त भूमि में जमाबन्दी सम्वत 2012–15 में अब्दुल व छोटु पुत्रान तुला के रूप में दर्ज है। अब्दुल के वारिसान प्रतिवादी 02 लगायत 19 ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 776 के वर्तमान खसरा नम्बर 1749 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ फरमया जाकर वादीगण को 1/3 –1/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 को 1/3 हिस्से का बराबर एंव हाल खाता संख्या 4 के वर्तमान खसरा नम्बर 1751 रकबा 1.02 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड से छोटू पुत्र तुला का नाम हजफ फरमाया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 को 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा